



2026:AHC:21635

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट याचिका-सी संख्या - 2030 सन् 2026

रविंद्र याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 11 अन्य प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : ओम प्रकाश पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया,

1. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, विपक्षी पक्ष को नोटिस भेजकर और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखकर कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि विपक्षी पक्ष आदेश से असंतुष्ट है, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. याचिकाकर्ता द्वारा इस याचिका में मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन चतुर्थ) गोरखपुर क्षेत्र को अपील संख्या 2848/2025 (कंप्यूटर वाद संख्या CCcvbfghfghsfC202505000002848) (रविंद्र बनाम विजय नाथ) में दिनांक 11.11.2025 को दायर स्थगन आवेदन पर शीघ्र निर्णय लिया जाए।
4. यह मामला प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष लंबे समय से लंबित है, और काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस याचिका का निपटारा करते हुए प्रतिवादी संख्या 2/अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन चतुर्थ) गोरखपुर क्षेत्र गोरखपुर को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त अपील में दायर स्थगन आवेदन पर कानून के अनुसार, अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः निचली अदालत के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से छह सप्ताह के भीतर निर्णय लें, लेकिन कानूनी बाधा न होने पर अनावश्यक स्थगन न दें। इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 2 को उपरोक्त अपील पर शीघ्रता से निर्णय लेने का निर्देश भी दिया गया है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

30 जनवरी, 2026

सकलैन

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"